न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम डोहरिया तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी — राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 111/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 चिरंजीलाल पिता कन्हैयालाल चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 रामलाल पिता कन्हैयालाल चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 मु.लछमी पुत्री कन्हैयालाल चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

———प्रार्थीगण

बनाम

1 रामधन पिता मनफूल चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

2 रामलाल पिता मनफूल चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

3 प्रेमचन्द पिता शिवदयाल शर्मा उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

5 कैलाश पिता स्व. हरि चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

6 मु.मोहनी पुत्री स्व. हरि चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

7 मु.कमला पुत्री स्व. ओम चमार उम्र—वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::— श्री विजय पाराशर ——अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित— विपक्षीगण समस्त

निर्णय

दिनांक 28.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 19.11.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम उम्मेदपुरा पटवार मण्डल डोहरिया तहसील फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 306, 307 प्रार्थीगण के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है।

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थीगण की खातेदारी/बिलानाम भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रुकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 से 03 की आराजी संख्या 301, 302, 305 एवं राज्य पक्ष भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 301/1289, 302/1209 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु विपक्षी संख्या 01 से 03 की आराजी संख्या 301, 302, 305 एवं राज्य पक्ष भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 301/1289, 302/1209 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 23.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम डोहरिया दिनांक 28.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा विहित समयावधी में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से विरुद्ध विपक्षीगण संख्या 01 से 07 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। शिविर में उपस्थित प्रार्थीगण पक्ष ने अपने अभिकथनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में भू.अ.निरीक्षक फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें रास्ता कायमी हेतु ग्राम उम्मेदपुरा स्थित राज्य पक्ष भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 301/1289 रकबा 0.06 में से 0.0016 (8 मीटर गुणा 2 मीटर/16 वर्गमीटर), आराजी संख्या 302/1209 रकबा 0.13 में से 0.0016 (8 मीटर गुणा 2 मीटर/16 वर्गमीटर) एवं विपक्षी क्रम 01 से 03 की आराजी संख्या 301 रकबा 1.25 हैक्टे. में से 0.0228 हैक्टे. (116 मीटर गुणा 2 मीटर/228 वर्गमीटर), आराजी संख्या 302 रकबा 0.47 हैक्टे. में से 0.0104 हैक्टे. (52 मीटर गुणा 2 मीटर/104 वर्गमीटर), आराजी संख्या 305 रकबा 0.57 हैक्टे. में से 0.0128 हैक्टे. (64 मीटर गुणा 2 मीटर/128 वर्गमीटर) मुनासिब एवं निकटतम रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अप्रार्थीगन को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। भू.अ.निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजियात में से रकबा 0.05 हैक्टे. 492 वर्गमीटर का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजीयात में से रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाधिकार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नहीं उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणों ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थी को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु भू.अ.निरीक्षक एवं द्वारा ग्राम उम्मेदपुरा स्थित राज्य पक्ष भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 301/1289 रकबा 0.06 में से 0.0016 हैक्टे. (8 मीटर गुणा 2 मीटर/16 वर्गमीटर), आराजी संख्या 302/1209 रकबा 0.13 में से 0.0016 है.

सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)

(8 मीटर गुणा 2 मीटर/16 वर्गमीटर) एवं विपक्षी क्रम 01 से 03 की आराजी संख्या 301 रकबा 1.26 हैक्टे. में से 0.0228 हैक्टे. (116 मीटर गुणा 2 मीटर/228 वर्गमीटर), आराजी संख्या 302 रकबा 0.47 हैक्टे. में से 0.0104 हैक्टे. (52 मीटर गुणा 2 मीटर/104 वर्गमीटर), आराजी संख्या 305 रकबा 0.57 हैक्टे. में से 0.0128 हैक्टे. (64 मीटर गुणा 2 मीटर/128 वर्गमीटर) निकटतम एवं सुविधाजनक प्रस्तावित नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम उम्मेदपुरा पटवार हल्का क्षेत्र डोहरिया स्थित राज्य पक्ष भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 301/1289 रकबा 0.06 में से 0.0016 हैक्ट. (8 मीटर गुणा 2 मीटर/16 वर्गमीटर), आराजी संख्या 302/1209 रकबा 0.13 में से 0.0016 हैक्ट. (8 मीटर गुणा 2 मीटर/16 वर्गमीटर) एवं विपक्षी क्रम 01 से 03 की आराजी संख्या 301 रकबा 1.26 हैक्टे. में से 0.0228 हैक्टे. (116 मीटर गुणा 2 मीटर/228 वर्गमीटर), आराजी संख्या 302 रकबा 0.47 हैक्टे. में से 0.0104 हैक्टे. (52 मीटर गुणा 2 मीटर/104 वर्गमीटर), आराजी संख्या 305 रकबा 0.57 हैक्टे. में से 0.0128 हैक्टे. (64 मीटर गुणा 2 मीटर/128 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 भूमिधारी (आराजी संख्या 301/1289, 302/1209 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0032 हैक्टेयर मालियत राशि की **दोगुनी राशि 1,227/– रूपये** राज्य कोष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 (आराजी संख्या 301, 302, 305 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में मालियत राशि की **तिगुनी राशि 26,453/– रूपये** (0.0460 हैक्टयर की) अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम डोहरिया के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा
सहायक कलेक्टर एवं दण्डनायक, फुलिया कलां (भील.)

प्रतिलिपि–

1– तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा
सहायक कलेक्टर एवं दण्डनायक, फुलिया कलां (भील.)